न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन), बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 01/2018
अनवान :–
श्री रमेशचन्द्र, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उत्तर–पश्चिम रेलवे, जोधपुर — प्रार्थी

–: बनाम :–

1. श्री श्यामसिंह पुत्र श्री गजेन्द्र सिंह तौमर मैनेजर ऑफ M/s Express Fod Services Pantry Car Train No. 22475-22476 (BKN-CBE Express Train) घर का पता– ग्राम हिसनी, पोस्ट–जोटई जिला मुरेना, मध्यप्रदेश। कार्यालय पता– 526 आर्यनगर विश्वनाथ सिनेमा, सुरजगंज ईटारसी, मध्यप्रदेश 481111
2. श्री शिवाकान्त पाण्डे पुत्र श्री सुरेश चन्द्र पाण्डे (FBO) M/s Express Fod Services Pantry Car Train No. 22475-22476 (BKN-CBE Express Train) घर का पता– जेकब कम्पाउण्ड, भगवती भवन के सामने, गुरूगोविन्दसिंह नगर, सुरजगंज इटारसी मध्यप्रदेश 461111 कार्यालय पता– 526 आर्यनगर विश्वनाथ सिनेमा, सुरजगंज ईटारसी, मध्यप्रदेश 481111
3. अशोक कुमार मिश्रीलाल गुप्ता पुत्र श्री मिश्रीलाल हिरालाल गुप्ता (डिस्ट्रीब्यूटर) पता– अशोका फूड एण्ड ब्रिवरेजेज प्लॉट संख्या 509/26 परमानन्द पटेल चौक, हंजार सिनेमा, सरसपुर रोड़ अहमदाबाद, गुजरात
4. M/s Express Food Services Pantry Car Train No. 22475-22476 कार्यालय पता– 526 आर्यनगर विश्वनाथ सिनेमा, सुरजगंज ईटारसी, मध्यप्रदेश 481111
5. अशोका फूड एण्ड ब्रिवरेजेज कार्यालय पता– प्लॉट संख्या 19/जी–2 प्रकाश एस्टेट, बेबफिरदोस स्कूल के सामने, रिटानगर बस्तराल रोड रबारी कॉलोनी अहमदाबाद गुजरात 509/26 परमानन्द पटेल चौक, हंजार सिनेमा, सरसपुर रोड़ अहमदाबाद, गुजरात

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा 2 (II) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी पक्ष की ओर से — श्री अजय कुमार त्रिपाठी खा.स.अ.,उ.प.रेलवे,जोधपुर
2. अप्रार्थी सं. 1 — श्री ओमप्रकाश शर्मा अधिवक्ता
3. अप्रार्थी सं. 2 ता 5 — अनुपस्थित।

–: निर्णय :– **दिनांक 21.01.2019**

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हे कि प्रार्थी श्री रमेशचन्द्र, खाध सुरक्षा अधिकारी, उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 10.08.2017 को प्रातः 06.00 बजे श्री श्यामसिंह पुत्र गजेन्द्रसिंह तौमर मैनेजर ऑफ M/s Express Fod Services Pantry Car Train No. 22475-22476 बीकानेर रेल्वे स्टेशन से (BKN-CBE Express Train) Pantry Car पर कार्यरत थे। उक्त के यहां (BKN-CBE Express Train) से पेकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (एक्सलिएंट) आदि विक्रय कर रहे थे। प्रार्थी ने श्री श्यामसिंह पुत्र गजेन्द्रसिंह तौमर मैनेजर को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया और उक्त (BKN-CBE Express Train) Pantry Car का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान (BKN-CBE Express Train) पेकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (एक्सलिएंट) विक्रय हेतु रखा हुआ पाया गया एवं विक्रय किया जा रहा था। तदन्तर मिलावट/Misbranded का संदेह होने पर उक्त पेकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (एक्सलिएंट) 16 बोतल (1 लीटर प्रत्येक बोतल) पेकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (एक्सलिएंट) मैनेजर श्री श्यामसिंह से रूपये 240/– अखरे रूपये दो सो चालीस रूपये नगद देकर वास्ते नमूना जांच हेतु खरीद कर जिस पर मैनेजर एवं गवाहन के हस्ताक्षर रसीद प्राप्त की। तदन्तर उक्त

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन) बीकानेर

Scanned by CamScanner

खरीदशुदा पेकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (एक्सलिएंट) को चार बराबर–बराबर भागों में कर लेबल तैयार कर प्रत्येक खाद्य नमुना के पैकेट पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एंव सीरियल संख्या NWR -376 विवरण दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये एवं सेल्समेन श्री श्यामसिंह, गवाह के हस्ताक्षर करवायें चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज के रैपर में लपेट कर प्रत्येक भाग पर D.D./NWR/Jaipur की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप संख्या NWR-376 नियमानुसार चारों भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोन्द से चिपका कर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार ऊपर–नीचे, दाये–बांये सील चपड़ी किया प्रत्येक नमुना भाग पर मैनेजर श्री श्यामसिंह, गवाह के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप एवं रेपर दोनों पर आ जावे एवं स्वयं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर उक्त चारों नमुना भागों को कब्जे में लिया गया। उक्त कार्यवाही पश्चात फर्द रिपोर्ट तैयार कर मैनेजर एवं गवाहान को पढ़ कर सुना कर एवं समझा कर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री श्यामसिंह मैनेजर ने पढ़ कर समझकर व सही मान कर हस्ताक्षर किये। उक्त एक नमूना भाग सीलबंद कर सील मोहर पेकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (एक्सलिएंट) को मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई । जिनके यहां से दिनांक 29.08.2017 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई। जिसमें पेकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (एक्सलिएंट) मिसब्राण्ड पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 द्वारा मिसब्राण्ड स्तर का पेकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (एक्सलिएंट) विक्रय कर खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब एवं वकालतनामा पेश हुआ । अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड भेजे गये थे। लेकिन बावजूद नोटिस तामील उपस्थित नहीं आये एवं ना ही इनकी से कोई प्रतिनिधि उपस्थित आया। लिहाजा अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी पक्ष की ओर से श्री अजय कुमार त्रिपाठी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया कि इस मामले में प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से पेकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (एक्सलिएंट) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खादय विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of "Packaged Drinking Water (Xlliant)" bearing Code No. and Sr. No. NWR-376 of Designated Officer cum The CMD/H&FW/NWR Jawahar Circle Jaipur. is Misbranded Food Under under section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and standards Act. 2006 पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां पेकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (एक्सलिएंट) मिसब्राण्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (II) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

4. अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया है कि प्रार्थी के द्वारा पैन्ट्रीकार के लिये पैकिंग ड्रिकिंग वाटर सप्लाई करता है। प्रार्थी द्वारा पैंकिंग ड्रिकिंग वाटर (सप्लायर) कम्पनी ASHOKA FOODS 7 DEVERAGES, 509/26, PARMANAD PATEL CHOWK, NR. HANJAJAR CINEAM, SARASPUR, ROAD AHMADABAD, GUJARAT से खरीद किया था। कम्पनी ने प्रार्थी को यह आश्वत कर दिया कि माला ड्रिंकिंग वाटर सही उच्च स्तर का है। अगर ड्रिंकिंग वाटर निम्न स्तर का पाया गया तो कम्पनी जिम्मेदार होगी। इस शर्त पर माल खरीदा था। प्रार्थी को यह विश्वास दिया कि पानी ड्रिकिंग वाटर उच्च कोटी का है, प्रार्थी द्वारा कम्पनी पर विश्वास करने के बाद ही ड्रिंकिंग वाटर खरीदा था। अगर किसी प्रकार की कोई कमी पाई गई तो कम्पनी की जिम्मेदारी होगी। प्रार्थी द्वारा खरीदा गया ड्रिंकिंग वाटर की जांच रिपोर्ट में मिसब्राण्ड स्तर का पाया गया है इसलिए प्रार्थी की कोई गलती नहीं है। बल्कि उक्त पैकिंग ड्रिकिंग वाटर सप्लाई की जिम्मेदारी कम्पनी की है। अतः उक्त प्रकरण में अप्रार्थी को क्षमा करते हुवे पैकिंग ड्रिकिंग वाटर (सप्लायर) कम्पनी पर जुर्माना किया जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां पाये गये पेकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (एक्सलिएंट) की सैम्पलिंग रिर्पोट में अप्रार्थी के यहां पाया गया पेकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (एक्सलिएंट) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक L.S.1886/Act 2017/1958 दिनांक 29.08.2017 की रिर्पोट संलग्न है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में में The sample of "Packaged Drinking Water (Xlliant)" bearing Code No. and Sr. No. NWR-376 of Designated Officer cum The CMD/H&FW/NWR Jawahar Circle Jaipur. is Misbranded Food Under under section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and standards Act. 2006 it is Contravene Regulation 2.2.2(10) of FSS(Packaging and Labeeling) Regulation 2011 पाया गया है। जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां पेकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (एक्सलिएंट) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अनुसार जुर्माने से दण्डनीय है।

6. इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले पेय पदार्थ में पेकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (एक्सलिएंट) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण, विक्रय एवं वितरण के लिये दोषी होने के परिणामस्परूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 (1) के दण्डात्मक प्रावधानों के तहत 30,000/- अखरे तीस हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।

7. उक्त शास्ति अप्रार्थीगण को अनुपातिक दायित्व/कर्त्तव्यों का आंकलन किया जाकर आनुपातिक रूप से निम्नानुसार शास्ति अधिरोपण का दायित्व निर्धारित किया जाता है।

8. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(II) का अपराध मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण करने वाले निर्माता के स्तर पर ही मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) पेकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (एक्सलिएंट) का विनिर्माण एवं पैकिंग किया जाता है। अतः आनुपातिक रूप से

अति. जिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

सर्वाधिक दायित्व एवं दोष विनिर्माता अप्रार्थी संख्या 5 का ही परिलक्षित होता है । अतः कुल आरोपित शास्ति रू. 30000/– में से रूपये 10,000/– अखरे दस हजार रूपये के लिए अप्रार्थी संख्या 5 को दायी घोषित किया जाता है।

9. मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु प्राप्त की जाने वाली सामग्री में विक्रेताओं का भी यह दायित्व होता है कि वे किसी भी खाद्य पदार्थ का विक्रय मानक सामग्री एवं सही ब्राण्ड की सामग्री की जांच पड़ताल उपरान्त ही करें। परन्तु विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 विक्रेता द्वारा जानबूझकर मानव उपभोग के लिये काम आने वाली पेय पदार्थ पेकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (एक्वालिएंट) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का विक्रय किया जिसके लिये वे भी समान रूप से धारा 26 (2) (ii) में दोषी है। अतः आनुपातिक रूप से आरोपित शास्ति में से अप्रार्थी संख्या 5 विनिर्माता की शास्ति को घटाने के पश्चात शेष आरोपित शास्ति 20,000/– अखरे बीस हजार रूपये शेष अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 समान रूप से 1/4 शास्ति राशि यानि 5,000/–, 5,000/– रूपये प्रत्येक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 भरने हेतु दायी होगा। इस प्रकार आरोपित तीस हजार रूपये की शास्ति राशि में से दस हजार रूपये अप्रार्थी संख्या 5 (विनिर्माता) एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 5–5 हजार रूपये की शास्ति राशि अदा करेगें।

10. इसके साथ–साथ अप्रार्थीगणों को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 21.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा निदेशक (परिवार एवं कल्याण) उत्तर–पश्चिम रेलवे, प्रधान कार्यालय जयपुर एवं अप्रार्थीपक्ष संख्या 2 ता 5 को रजिस्टर्ड डाक से तथा अप्रार्थी पक्ष संख्या 1 के प्राधिकृत प्रतिनिधि(अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा),बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner